

प्रेस- नोटथाना- जीयनपुरअवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 21/03/2024 उ0नि0 नीलमणी सिंह मय हमराह द्वारा जमीन मुहम्मदपुर मोड़ पर संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चेकिंग की जा रही थी चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति साईकिल से आते दिखा जो चेकिंग करता हुआ देख कर पीछे मुडकर भागना चाहा जिसे घेर कर पकड लिया गया पकडे गये व्यक्ति से नाम पता पुछा गया तो अपना नाम नजरेआलम उर्फ आलम पुत्र आजम उर्फ ईसाऊ उम्र करीब 37 वर्ष बताया उसके कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ जिसको समय 11.10 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया । बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0105/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0स0105/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- नजरेआलम उर्फ आलम पुत्र आजम उर्फ ईसाऊ उम्र करीब 37 वर्ष ग्राम अंजानशहीद थाना जीयनपुर आजमगढ़ बरामदगी का विवरण:-

1-एक तमंचा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1- उ0नि0 नीलमणी सिंह यादव मय हमराह थाना जीयनपुर आजमगढ़

थाना सिधारीशादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

दिनांक 16.03.2024 को वादिनी मुकदमा उपस्थित थाना आकर एक लिखित तहरीर दी कि विपक्षी राजेश गुप्ता पुत्र सिद्धनाथ गुप्ता साकिन सर्फुद्दीनपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा विगत दस वर्षों से शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने एवं गर्भपात कराने एवं शादी करने हेतु कहने पर मारपीट कर भगाने एवं गाली गुप्ता एवं जान से मारने की धमकी देते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, के सम्बन्ध में थाना सिधारी पर मु0अ0सं0 88/2024 धारा 323/504/506/376/313 भादवि व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)V SC/ST ACT बनाम राजेश गुप्ता पुत्र सिद्धनाथ गुप्ता साकिन सर्फुद्दीनपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर आजमगढ़ द्वारा सम्पादित किया जा रहा है ।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 21.03.2024 को उ0नि0 सौरभ कुमार सिंह चौकी प्रभारी मूसेपुर थाना सिधारी आजमगढ़ मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में अभि0 राजेश गुप्ता पुत्र सिद्धनाथ गुप्ता साकिन सर्फुद्दीनपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ को उसके घर से समय 08.00 बजे गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 88/2024 धारा 323/504/506/376/313 भादवि व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)V SC/ST ACT थाना सिधारी आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- राजेश गुप्ता पुत्र सिद्धनाथ गुप्ता साकिन सर्फुद्दीनपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 सौरभ कुमार सिंह चौकी प्रभारी मूसेपुर थाना सिधारी आजमगढ़

थाना – अहरौला

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक 25.01.2024 को वादिनी मुकदमा थाना अहरौला जिला आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी शुभम यादव पुत्र सूर्यदेव यादव उम्र 19 वर्ष निवासी छितौना थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी मुकदमा को शादी का झांसा देकर 02 साल तक दुष्कर्म किया गया तथा वादिनी के इच्छा के विरुद्ध गर्भपात कारिक करना तथा विरोध करने पर गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 026/24 धारा 376/313/504/506 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 21.03.2024 को उ0नि0 राकेश कुमार तिवारी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शुभम यादव पुत्र सूर्यदेव यादव उम्र 19 वर्ष निवासी छितौना थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को चाँदनी चौक तिराहे के पास से समय 09.30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 26/24 धारा 376/313/504/506 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- शुभम यादव पुत्र सूर्यदेव यादव उम्र 19 वर्ष निवासी छितौना थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री राकेश कुमार तिवारी, हे0का0 रामकृष्ण यादव थाना अहरौला आजमगढ़ ।

थाना – रौनापार

किशोरी का अगवा कर दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण-

वादिनी मुकदमा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 04.03.2024 को समय करीब 12.00 बजे रात्रि को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादिनी की पुत्री उम्र करीब 16 वर्ष को घर से भगा ले गया है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 87/2024 धारा 363/366 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

विवेचना के दौरान अन्तर्गत धारा 161 व 164 द0प्र0सं0 तथा मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गई व अभि0 सचिन कुमार पुत्र रामविजय भारती निवासी अजगरा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ का प्रकाश में आया जिसके विरुद्ध जुर्म धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सों एक्ट में अग्रिम विवेचना की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 21.03.2024 को उ0नि0 अखिलेश सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सचिन कुमार पुत्र रामविजय भारती निवासी अजगरा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को ग्राम हाजीपुर ढाला से हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 87/2024 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना रौनापार आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 87/2024 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना रौनापार आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- सचिन कुमार पुत्र रामविजय भारती निवासी अजगरा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 अखिलेश सिंह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ।
2. हे0का0 ध्यान प्रकाश यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।
3. का0 राजेन्द्र प्रसाद थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ।

प्रेस-विज्ञप्ति

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 03 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

01.थाना कोतवाली: गैंगेस्टर के आरोपी अभियुक्त को 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 05 हजार रुपये जुर्माना

➡ दिनांक-07.06.1992 को वादी मुकदमा तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली डीपी शुक्ल के लिखित तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 838/1992 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट बनाम रूपेश सिंह पुत्र रामपलट सिंह निवासी मुहल्ला हरवंशपुर थाना सिधारी आजमगढ़ पंजीकृत किया गया।

➡ गैंगेस्टर के अभियोग में अभियुक्त को गिरफ्तार कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ जिसके क्रम में आज दिनांक- 21.03.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट), आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रूपेश सिंह पुत्र रामपलट सिंह निवासी मुहल्ला हरवंशपुर थाना सिधारी आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

02.थाना मुबारकपुर: 01 अभियुक्त को 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 06 हजार रुपये जुर्माना

➡ दिनांक-11.10.2000 को वादिनी मुकदमा सुराती पत्नी एकादशी राम निवासी आजाद नगर थाना मुबारकपुर आजमगढ़ के लिखित तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 401/2000 धारा 323/34/504/506 भादवि व 3(1) 10 एससी/एसटी एक्ट बनाम बहादुर चौहान पुत्र रामदुलार चौहान निवासी उग्रहमपुर थाना मुबारकपुर आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था।

➡ मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त को गिरफ्तार कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ जिसके क्रम में आज दिनांक- 21.03.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एससी/एसटी), आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त बहादुर चौहान पुत्र रामदुलार चौहान निवासी उग्रहमपुर थाना मुबारकपुर आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 06 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

थाना मेंहनगर

अभियुक्त मुख्तार उर्फ मुन्ना राजभर द्वारा अपराध जगत से अर्जित धन से क्रय की 01 मोटर साइकिल TVS (मूल्य करीब 19 हजार रुपये) को अन्तर्गत धारा 14(1) उ.प्र. गैंगेस्टर एक्ट के तहत कुर्क

थाना मेंहनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 408/22 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त मुख्तार उर्फ मुन्ना राजभर पुत्र शिवनाथ राजभर निवासी महावल टांडा थाना तरवा जनपद आजमगढ़ द्वारा अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर षडयंत्र रचकर रूपए की चोरी करने का अपराध कारित करते हैं। दिनांक 24/07/2022 को नरसिंहपुर मोड़ के पास वादी मुकदमा राजकुमार सिंह पुत्र विनोद कुमार सिंह निवासी मुरारपुर थाना तरवा जनपद आजमगढ़ से बृजभान के नाम से सम्बोधन कर बैंक मित्र बनकर 115000 (एक लाख पन्द्रह हजार) रूपए, चाकू दिखाकर लेकर भाग गये थे। अभियुक्त द्वारा अपराध कारित कर अवैध रूप से अर्जित धनराशि से 01 मोटर साइकिल TVS XL 100 HD रजि0 UP50 BV 1574 क्रय किया गया। जिसका मूल्य 19 हजार रुपये निर्धारित किया गया है।

➡ उपरोक्त सम्पत्ति (मोटर साइकिल) को अन्तर्गत धारा 14(1) उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1986 के तहत दिनांक 29.02.2024 को निर्गत कुर्की का आदेश प्राप्त कर दिनांक 20.03.2024 को उक्त सम्पत्ति को निरीक्षक अपराध जयप्रकाश यादव थाना मेंहनगर मय हमराह पुलिस बल द्वारा नियमानुसार कुर्क किया गया।